न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

**अपील सख्याः**–जीसीएमएस नं. 2022/138

1. काशीराम पुत्र श्री हेतराम जाति अहीर, निवासी ग्राम खिदरपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान। **(मृतक दौराने अपील)**
   - 1/1. कमलादेवी बेवा काशीराम,
   - 1/2. शेरसिंह,
   - 1/3. विजय कुमार,
   - 1/4. जसवन्त सिंह,
   - 1/5. मोहरसिंह पुत्रान काशीराम निवासी ग्राम ग्राम खिदरपुर तहसील तिजारा जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. फातिया पुत्र हेता, जाति चमार, निवासी ईसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर **(मृतक दौराने अपील)**
   - 1/1. सुबेसिंह,
   - 1/2. अभयसिंह,
   - 1/3. विरेन्द्र,
   - 1/4. अमिया पुत्रान फातिया जाति चमार निवासीयान इसरोदा, तहसील तिजारा जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थितिः–**

1. **श्री अनिल गुप्ता, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री जर्नादन शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट्स ओर से**

## निर्णय

**दिनांकः 26.10.2023**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2007 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मेटर इन कन्ट्रोवेसी को समझने में अपना ज्यूडिशियल माईण्ड कतई एप्लाई नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट फतिया को वर्ष 1975 में भूमि का सशर्त आवंटन हुआ था जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था तथा फतीया ने अपने नाम नामान्तरकरण भी नही चढ़वाया एवं ना ही भूमि का कोई कब्जा प्राप्त किया, उक्त आवंटन बहक फतिया प्रारम्भ से ही शून्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

**P.T.O.**

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलान्ट का आवंटन 31 वर्ष पुराना है और इन 31 वर्षो से वह काबिज खातेदार काश्तकार है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट को खातेदार अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात् कानूनन आवंटन खारिज नही किया जा सकता जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनी नजीरें पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन नजीरों पर कोई गौर नही किया तथा नजीरों की कोई विवेचना अपीलाधीन निर्णय में भी नही की गई। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय हर दो अधीनस्थ न्यायालयों के भू आवंटन नियमावली, राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ हरदो न्यायालयों के अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजी दिनांक 05.09.1975 को फतिया को आवंटन हुई थी तभी से रेस्पोडेन्ट फतिया अपने जीवनकाल में आराजी पर काबिज चला आ रहा तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि फतिया का आवंटन निरस्त नही किया गया है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट काशीराम को सनद जारी की गई जो विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा फतिया को आवंटन दिनांक 05.09.1975 को किया गया है। फतिया ने कोई स्तीफा नही दिया था। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया था जिसको तहसीलदार निरस्त नही कर सकता। आवंटन नियम 1963 के रूल्स के मुताबिक आवंटन निरस्त 5(7) के अन्तर्गत होना चाहिये था। पुराना कब्जा अपीलान्ट का नही है, पी–14 में कब्जा दर्ज नही है। अपीलान्ट लोकल टीनेन्ट भी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एव प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2007 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट फतिया को दिनांक 05.09.975 को आराजी खसरा नम्बर 843 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा ग्राम खिदरपुर का अवंटन किया गया तथा प्रथम आवंटी फतिया को बिना कोई नोटिस दिये ही अपीलान्ट को अन्य भूमि के साथ–साथ फतिया को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 843 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन भी सन् 1976 में कर दिया गया था जबकि कानूनन रेस्पोडेन्ट फतिया को किये गये आवंटन को बिना निरस्त करवाये ही भूमि का दुबारा से आवंटन

P.T.O.

नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2007 एवं तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2007 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2007 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।